

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग।
सं० 3/आ०वि०(विविध) 02-14/2011 73

प्रेषक,

निदेशक।

सेवा में,

1. मे० आस्था इन्टर प्राइजेज, हाजीपुर
2. मे० सत्यभामा समाज कल्याण संस्थान बनमंखी, पूर्णियाँ
3. मे० ओम सर्वो उन्नयन संस्थान, मुजफ्फरपुर
4. मे० विजया इन्टर प्राइजेज पटना
5. मे० सद्भावना विकास मंडल, सारण
6. कर्तव्य सेवा संघ, सीतामढ़ी
7. सर्वांगीण विकास समिति, शेखपुरा
8. मे० राजू कैंटीन, पटना
9. मे० सृष्टि इन्टर नेशनल, पटना
10. मे० संजय कैंटीन हाउस, नालन्दा

पटना-15, दिनांक- 15/01/2014

विषय:- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में नई कैंटरिंग व्यवस्था तथा भोजन आपूर्ति हेतु कार्यादेश के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विज्ञापन सं०-पी० आर०-6166 (क०) 13-14 दिनांक-06.09.2013 तथा 7483 (क०) 13-14 दिनांक-06.10.2013 द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में नई कैंटरिंग व्यवस्था तथा भोजन आपूर्ति हेतु विभिन्न संस्थानों/स्वयं सेवी संस्था/कैंटर से निविदा आमंत्रित की गई थी।

2- उक्त आमंत्रित निविदा में निविदादाताओं के तकनीकी एवं वित्तीय वीड की समीक्षा विभागीय निविदा समिति द्वारा की गई। विभागीय समिति की दिनांक-28.11.2013 तथा दिनांक-06.12.2013 को लिये गये निर्णय के आलोक में, तथा सचिव महोदय द्वारा दिये गये निदेश एवं विभागीय समीक्षा के उपरान्त आप के संस्था का चयन विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में सरकारी निर्धारित दर पर कैंटरिंग तथा भोजन आपूर्ति हेतु किया गया है।

3- संलग्न विवरणी के अनुसार आपके संस्था/फर्म के नाम के सामने अंकित आवासीय विद्यालयों में कैंटरिंग व्यवस्था तथा भोजन की व्यवस्था निविदा पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुरूप करना होगा। 4- आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निविदा पत्र में निर्धारित मीनू जिसकी प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न है, के अनुसार करनी होगी।

 

5— चयनित आपूर्तिकर्ता/केटरर द्वारा आवासीय विद्यालयों में भोजन की आपूर्ति प्रतिदिन की छात्र-छात्राओं की उपस्थिति के आलोक में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी द्वारा दिये गये विहित प्रपत्र में इन्डेन्ट (Indent) के अनुसार किया जायगा।

6—संबंधित केटरर का भुगतान प्रतिदिन की छात्र/छात्राओं की उपस्थिति के अनुसार प्रधानाध्यापक द्वारा दिये गये विहित प्रपत्र में इन्डेन्ट (Indent) के आधार पर किया जायगा। Indent की प्रति आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक दिन, अगले दिन की भोजनादि व्यवस्था के लिये दिया जायेगा।

7— विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार विद्यालय स्थापना के पदाधिकारी/कर्मचारी यदि भोजन-नास्ता करते हैं, तो इसके लिए संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी से 1500/—रु० प्रतिमाह अतिरिक्त भार वसूल किया जायेगा।

8— संबंधित केटरर की जिम्मेवारी होगी कि भोजशाला तथा उसके आप-पास के परिसर को पूर्ण सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

9— संबंधित केटरर द्वारा उपलब्ध कराये गये रसोईया, सहायक रसोईया, वेटर तथा मशालची को साफ-सुथरा तथा यूनिफार्म में रहेंगे, जिसकी व्यवस्था केटरर द्वारा की जायगी।

10— निदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मीनू में परिवर्तन किया जा सकता है एवं तदनुसार भोजनादि आपूर्ति करने हेतु प्रधानाध्यापक को निदेश देंगे। आपूर्तिकर्ता द्वारा निदेशक के स्तर से निर्धारित मिनू को लागू करना होगा।

11— इन्डेन्ट शीट की प्रति विभाग द्वारा प्रिन्ट करके सभी आवासीय विद्यालय को उपलब्ध कराया जायगा। प्रत्येक इन्डेन्ट शीट चार प्रतियों में होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी शीट में इन्डेन्ट स्वीकार्य नहीं होगा।

12— इन्डेन्ट की मूल प्रति भोजन आपूर्तिकर्ता को दिया जायगा, दूसरी प्रति निदेशक को भेजा जायगा, तीसरी प्रति जिला कल्याण पदाधिकारी को तथा चौथी प्रति प्रधानाध्यापक अपने कार्यालय में संधारित करने हेतु रखेंगे।

 

13- निर्धारित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन संबंधित कैंटरर द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

14- किसी भी परिस्थिति में निर्धारित मीनू से विचलन नहीं किया जायगा अन्यथा आप के द्वारा समर्पित ई0एम0डी0 जप्त करते हुए नियमानुसार यथाचित कार्रवाई की जायगी।

15- संबंधित कैंटरर को संबंधित आवासीय विद्यालयों में प्रथम चरण में तुरत भोजनादि की आपूर्ति करने का कार्य प्रारंभ किया जायगा।

विश्वसभाजन

निदेशक।

ज्ञापांक-3/आ0वि0(विविध) 02-14/2011 73 पटना-15 दिनांक-15/01/2011
प्रतिलिपि-सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक।

ज्ञापांक-3/आ0वि0(विविध) 02-14/2011 73 पटना-15 दिनांक-15/01/2014
प्रतिलिपि-सभी प्रधानाध्यापक, /प्रधानाध्यापिका, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। भोजनादि की सुचारु रूप से आपूर्ति के संबंध में पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित प्रधानाध्यापक, /प्रधानाध्यापिका की होगी, यदि उन्हें किसी प्रकार समस्या हो तो वे सीधे निदेशक से सम्पर्क कर समाधान करायेंगे।

निदेशक।

25/1/14

निदेशक।

अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में भोजन आपूर्ति करने हेतु चयनित केटरर को आवंटित विद्यालयों की सूची।

क्रमांक	चयनित केटरर/संस्था का नाम	जिला	आवासीय विद्यालय का नाम जहाँ भोजन आपूर्ति करना	अभियुक्ति	
1	2	3	4	5	
1.	आस्था इन्टरप्राइजेज, हाजीपुर	वैशाली	1	बालिका उ०वि०, हाजीपुर	
			2	बालिका उ०वि०, राजवाड़ा	
		मुजफ्फरपुर	3	प्रा०बालिका वि०, मुरौल	
			4	प्रा०बालिका वि०, बोचाहा	
			5	बालिका उ०वि०, शिवहर	
2.	सत्यभामा समाज कल्याण संस्थान, बनमनखी, पूर्णियां	अररिया	1	आवासीय उ०वि०, फारबिसगंज	
		किशनगंज	2	आवासीय उ०वि०, किशनगंज	
		कटिहार	3	आवासीय उ०वि०, सोनेली	
			4	अनु०जन०जाति आ०उ०वि०, कुमारीपुर, नीमा	
		पूर्णियां	5	आ०उ०वि०, जानकीनगर	
			6	अनु०जन०जाति आ०उ०वि०, बनमनखी	
			7	अनु०जन०जाति आ०उ०वि०, मुगालिया, पूरनदहा	
		सहरसा	8	आवासीय उ०वि०, अमरपुर	
		मधेपुरा	9	आ० बालिका उ०वि०, मधेपुरा	
		सुपौल	10	आ० बालिका उ०वि०, सुपौल	
3.	ओम सर्वो उन्नयन सेवा संस्थान, मुजफ्फरपुर	मधुबनी	1	आ० बालिका उ०वि०, मधुबनी	
			2	आ०उ०वि०, रामनगर	
			3	आ०उ०वि०, बलिराजपुर	
		दरभंगा	4	आ०बालिका उ० वि०, दरभंगा	
4.	विजया इन्टरप्राइजेज, पटना	रोहतास	1	आ०उ०वि०, सासाराम	
			2	आ०बालिका उ० वि०, सासाराम	
		भोजपुर	3	आ०बालिका उ० वि०, आरा	
			4	आ०उ०वि०, मौलाबाग, आरा	
		भभुआ	5	आ०उ०वि०, भभुआ	
			6	आ०उ०वि०, कुदरा	
		बक्सर	7	आ०उ०वि०, बक्सर	
		रोहतास	8	अनु०जनजाति आ०उ०वि०, सौली	
			9	अनु०जनजाति आ०म०वि०, नागाटोली	
			10	अनु०जनजाति आ०म०वि०, बुधुआ	
		भभुआ	11	अनु०जनजाति आ०उ०वि०, देवरी	
			12	अनु०जनजाति आ०उ०वि०, बड़गाँव	
			13	अनु०जनजाति आ०म०वि०, आथन	
			14	अनु०जनजाति आ०म०वि०, कौल्हुआ	
			15	अनु०जनजाति आ०म०वि०, सड़की	
			16	अनु०जनजाति आ०म०वि०, सेमरा	
			17	अनु०जनजाति आ०म०वि०, मसानी	
औरंगाबाद	18	आ०बालिका उ० वि०, औरंगाबाद			
5.	सदभावना विकास मंडल, सारण	गौपालगंज	1	आ०उ०वि०, हथुआ	
		सारण	2	आ०उ०वि०, रामचक	
		सिवान	3	आ०बालिका उ० वि०, सिवान	
6.	कर्तव्य सेवा संघ, सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	1	आ०उ०वि०, राघोपुर, बखरी	
			2	आ०उ०वि०, मैडरौल	
		प० चम्पारण	3	आ०उ०वि०, चौतरवा	
			4	अनु०जनजाति आ०उ०वि०, सिद्याव	

क्रमांक	चयनित केटरर/संस्था का नाम	जिला	आवासीय विद्यालय का नाम जहाँ भोजन आपूर्ति करना	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
7.	सर्वांगीण विकास समिति, शेखपुरा	शेखपुरा	1 आ0बालिका उ0 वि0, शेखपुरा	
		जमुई	2 आ0बालिका उ0 वि0, जमुई	
			3 अनु0जनजाति आ0उ0वि0, बामदह	
		मुंगेर	4 आ0बालिका उ0 वि0, मुंगेर	
		पूर्वी चम्पारण	5 अनु0जाति आ0उ0वि0, सुगाँव	
8.	मे0 राजू कैंटीन, पटना	पटना	1 आ0बालक उ0वि0, पूनपून	
			2 आ0बालक उ0वि0, पिपलावाँ	
		खगड़िया	3 आ0बालक उ0वि0, अलौली	
		समस्तीपुर	4 आ0बालक उ0वि0, रोसड़ा	
		समस्तीपुर	5 आ0बालिका उ0 वि0, समस्तीपुर	
		मुजफ्फरपुर	6 आ0बालक उ0वि0, पोखरैरा	
		बेगूसराय	7 आ0बालिका उ0 वि0, भरी	
		लखीसराय	8 आ0बालिका उ0 वि0, लखीसराय	
		अरवल	9 आ0बालिका उ0 वि0, अरवल	
			जहानाबाद	10 आ0बालिका उ0 वि0, जहानाबाद
9.	मे0 सृष्टि इन्टरनेशनल, पटना	गया	1 आ0बालक उ0वि0, मटिहानी	
			2 आ0बालक उ0वि0, मनफर	
			3 आ0बालक उ0वि0, शैरघाटी	
			4 आ0म0वि0, तपोवन	
			5 आ0प्रा0वि0, डुमरया	
			6 आ0प्रा0वि0, मानपुर	
			7 आ0प्रा0वि0, ईमामगंज	
			8 आ0प्रा0वि0, आमस	
			9 आ0प्रा0वि0, मोहनपुर	
			10 आ0प्रा0वि0, गया टाउन	
			11 आ0प्रा0वि0, गुरुआ	
		भागलपुर	12 आ0उ0वि0 कम्पनीबाग, भागलपुर	
		बाँका	13 अन0जाति आ0बा0उ0वि0, बाँका	
10	मे0 संजय कैंटीन हाउस, नालंदा	नवादा	1 आ0बा0उ0वि0, नवादा	
			2 आ0प्रा0वि0, सिरदल्ला	
			3 आ0बालक उ0वि0, नवादा	
		गया	4 आ0प्रा0वि0, वजीरगंज	
			5 आ0प्रा0वि0, फतेहपुर	
		नालंदा	6 आ0बालक उ0वि0, राजगीर	
		नालंदा	7 आ0बालिका उ0 वि0, राजगीर	

Signature

Signature

Signature